

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अरोपित अर्थादण्ड का विवरण

क्र० सं०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अवतन स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य कर विभाग, मुरादाबाद जिले, मुरादाबाद	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	रु० 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक-11.07.2018 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुरादाबाद पर वादी को सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति रु०-5000.00 का अर्थादण्ड दिनांक 11-07-2018 को हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन हिन्दी कमिशनर के देतल से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि राये 5000-00 की कटौती हेतु हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या-2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र संख्या-1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा को अनुस्मार प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटावा द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद को अपने पत्र संख्या-305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्थादण्ड जमा न होने की दशा में हिन्दी कमिशनर (प्रशा0) वाणिज्य कर मुरादाबाद के पत्र सं० 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिशनर को अर्थादण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन हिन्दी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुरादाबाद वर्तमान हिन्दी कमिशनर (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि मा० आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.08.2021 के उपरांत आरोपित अर्थादण्ड रूपये. 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुन- पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पत्रांक- 2221 दिनांक 31-03-23 व पत्रांक 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण प्राप्त होते ही साक्ष्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जायेगा।	शून्य

02	राज्य कर	श्री दिव्यामूर्ति कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-2, नजीबाबाद ।	16-07-2018	₹ 25000.00	अद्विरोपित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डि०की० को इस स्तर से पत्र सं० 1153 दिनांक 01-03-2023 प्रेषित किये गये है ।	शून्य	अधिविरोपित अर्थदण्ड के संबंध में मान० त्रिताधिकारी, बिजनौर के पत्र सं०- 220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है । अर्थदण्ड समाप्त हेतु इस स्तर से मान० राज्य सूचना आयोग में लम्बित है । इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, नजीबाबाद महोदय को पत्रांक- 801 दिनांक 17.02.2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यामूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेरठ महोदय को पत्र सं०- 140 दि० 09.05.2014 व पत्र सं०- 1151 दिनांक 01.03.2023 को अर्थदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये है ।	शून्य
03	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि० की० (प्रशा०) वा०क० झांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांघ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डि० की० कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदन पर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, 3000 लखनऊ द्वारा अभी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है ।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांघ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डि० की० कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०-12482/सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त 3000 लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 चयन की गयी है जो अभी वर्तमान में लम्बित है ।

नोट:- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, झांसी के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-659/29.06.2024, 736/08.07.2024, 797/16.07.2024, 1445/28.09.2024, 1952/22.11.2024, 2621/20.01.2025, 254/29.04.2025 एवं 557/17.05.2025 के माध्यम से श्रीमती सरिता सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) राज्य कर, गाजियाबाद तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वाणिज्य कर, झांसी को पत्र प्रेषित करते हुए मा० राज्य सूचना आयुक्त, 3000 लखनऊ के समक्ष दायर अपील क्रमांक 104002 दिनांक 20.03.2018 की अवलोकन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है ।

(कमलेश कुमार)
उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।